-प्रेस नोट-

जनपद-मीरजापुर

दिनांक- 21-10-2021

थाना अहरौरा पुलिस द्वारा पिकअप चालक(वाहन स्वामी) की हत्या कर लूट की घटना को कारित करने वाले चार आरोपी गिरफ्तार , निशानदेही पर युवक का कंकाल , आलाकत्ल हथौड़ी व लूट का माल बरामद —

ज्ञातव्य हो कि दिनांकः 16.09.2021 को थाना अहरौरा पर वादी माँ वैष्णो ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक श्री पवन कुमार सिंह पुत्र स्व0 राधे सिंह निवासी भिटारी थाना लोहता वाराणसी द्वारा लिखित सूचना दी गई कि दिनांक 10.09.2021 को पिकअप वाहन संख्याः यूपी 67 टी 7995 के चालक(वाहन स्वामी) अमरदीप केशरी पुत्र विजय केशरी निवासी सिकन्दरपुर थाना चकिया चन्दौली मेरे ट्रांसपोर्ट से पेंट व वॉलपुट्टी लोड करके ग्राम मकरा थाना जलालपुर जौनपुर से ओबरा व कोन सोनभद्र पहुंचने के लिए समय 20.00 बजे रवाना हुए थे। किन्तु निर्धारित स्थान पर समय से उक्त माल को पिकअप चालक(वाहन स्वामी) द्वारा नही पहुंचाया गया। दिनांक 11.09.2021 को उक्त पिकअप वाहन थाना अहरौरा क्षेत्रान्तर्गत अंकुर ढ़ाबा के पास लावारिश खड़ी पाई गई , जिसमें लदा हुआ माल व वाहन स्वामी/चालक नही मिला। जिसके सम्बन्ध दिनांक 16.09.2021 को थाना अहरौरा पर मु0अ0सं0-89/2021 धारा 406 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। थाना स्थानीय पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की विवेचना में भौतिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के संकलन के आधार पर कार्यवाही करते हुए थाना अहरौरा पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों सागर कुमार प्रजापति पुत्र श्यामू प्रजापति , सुनील कुमार प्रजापति पुत्र रामू प्रजापति निवासीगण सिकन्दरपुर थाना जमालपुर मीरजापुर , शुभम प्रजापति पुत्र दिलीप प्रजापति निवासी पथरौरा थाना अदलहाट मीरजापुर से पूछताछ किया गया। पूछताछ से उक्त व्यक्तियों द्वारा पिकअप चालक(वाहन स्वामी) की हत्या कर लदा हुआ माल पुट्टी व पेंट को लूटने का अपराध स्वीकार किया।

विवरण पूछताछ—

विस्तृत पूछताछ में उपरोक्त अभियुक्तो द्वारा बताया गया कि दिनांक 10.09.2021 को पिकअप स्वामी/चालक अमरदीप केशरी से बात करके उसे अंकुर ढ़ाबा के पास बुलाकर एकसाथ शराब पियें , जिसके बाद पिकअप में सवार होकर चल दिए। इसी दौरान अमरदीप से वाहन रूकवाकर पूर्व नियोजित योजना के अनुसार लघुशंका हेतु वाहन से उतरे और समय देखकर अमरदीप के सिर पर हथौड़ी से प्रहार कर हत्या कर दिये तथा शव को पास स्थित झाड़ी में सबूत छिपाने की नियत से फेंक दियें। पिकअप को माल सहित लेकर जनपद चन्दौली में स्थित शुभम प्रजापति के किराये के मकान के ले जाकर रख दिया गया तत्पश्चात् जायसवाल हार्डवेयर के मालिक शुभम जायसवाल निवासी हमीदपुर जनपद चन्दौली को ₹ 24 हजार में बेंच दिया गया। पकड़े गए संदिग्ध उपरोक्त तीनो की निशानदेही के आधार पर मृतक अमरदीप केशरी का नर कंकाल/हड्डिया , बनियान व केशरिया गमछा बरामद किया गया तथा बिक्री के माल को हमीरपुर चन्दौली स्थित जायसवाल हार्डवेयर की दुकान से 75 बोरी सादी एशियन पेंट वॉल पुट्टी, 05 कार्टून में 30 ली0 व 01 कार्टून में 03 ली0 एशियन पेंट थिनर भी बरामद किया गया। थाना अहरौरा पर पंजीकृत मु0अ0सं0-89/2021 में धारा 406 भादवि का लोप करते हुए धारा

302,201,394,34/411 भादवि में तरमीम किया गया। अतः जुर्म धारा व गिरफ्तारी का कारण बताकर चारो अभियुक्तो को दिनांक 20.10.2021 को जनपद चन्दौली से हिरासत पुलिस में लिया गया। उक्त घटना के अनावरण में क्राइम ब्रांच की पुलिस टीम का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1- सागर कुमार प्रजापति पुत्र श्यामू प्रजापति निवासी सिकन्दरपुर थाना जमालपुर मीरजापुर।
2- सुनील कुमार प्रजापति पुत्र रामू प्रजापति निवासी सिकन्दरपुर थाना जमालपुर मीरजापुर।
3- शुभम प्रजापति पुत्र दिलीप प्रजापति निवासी पथरौरा थाना अदलहाट मीरजापुर।
4- शुभम जायसवाल पुत्र सरोज जायसवाल निवासी सी-6/127ए बाग बारियार थाना चेतगंज वाराणसी।

विवरण बरामदगी—

1- आलाकत्ल हथौड़ी , मृतक का नर कंकाल/हड्डिया, केशरिया रंग का गमछा व बनियान (अभियुक्तों की निशानदेही).

2- जायसवाल हार्डवेयर हमीदपुर चन्दौली से 75 बोरी सादी एशियन पेंट वॉल पुट्टी , 05 कार्टून में 30 ली0 व 01 कार्टून में 03 ली0 एशियन पेंट थिनर
(अभियुक्तों की निशानदेही).

गिरफ्तारी का दिनांक, समय व स्थान—

दिनांक 20.10.2021 को समय 18.45 बजे, हमीदपुर थाना मुगलसराय जनपद चन्दौली।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम का विवरण—

1- उ0नि0 रामस्वरूप वर्मा प्रभारी स्वाट टीम मय टीम , मीरजापुर।
2- उ0नि0 गिरेन्द्र कुमार राय प्रभारी थाना अहरौरा मीरजापुर।
3- उ0नि0 दीनू प्रसाद यादव ,उ0नि0 मोती सिंह यादव
4- हे0का0 सुशील सिंह ,हे0का0 सीताराम यादव , हे0का0 प्रदीप सिंह।
5- का0 मनोज कुमार थाना अहरौरा मीरजापुर।
6- का0 नितिल कुमार सिंह सर्विलांस सेल , मीरजापुर।

नोट- घटना का सफल अनावरण करने वाली पुलिस टीम को पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा ₹ 15,000.00/- के पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई।

मीरजापुर पुलिस